

कार्यालय नगर पंचायत कांट, शाहजहाँपुर

पत्रांक संख्या : 593/न.पं.कांट/2024-25

दिनांक: 14/11/2024

सार्वजनिक सूचना/आपत्ति आमन्त्रण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन, नगर विकास निभाग अनुभाग-9, संख्या 1148/नौ-9-2024-85ज/05 टी०सी०-1 दिनांक 04 जुलाई 2024 को अधिसूचना उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 के प्रस्तर-5 में प्रत्योजित शक्ति का प्रयोग करते हुये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कांट, शाहजहाँपुर उक्त अधिसूचना में प्राविधित उपबन्धों के अधीन मासिक किराया दर एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के आधार पर वर्गवार/श्रेणीवार भवन/भूमि समूह के लिये प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराया दर निर्धारित करती है। जिस भी व्यक्ति, संस्था/गैर सरकारी संस्थान/सरकारी विभाग को निर्धारित मासिक किराया दर पर आपत्ति हो तो अधिसूचना के प्रस्तर-5(ख) में विहित प्रक्रियाधीन 15 दिनों के अन्दर जरिये पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ईमेल npkant16@gmail.com दिनांक 29.11.2024 तक अपराह्न 04 बजे तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियों का निस्तारण बण्डलवार विनिश्चय किया जायेगा न कि आत्तियों को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जायेगा। निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर के आधार पर अधिरोपित होने वाला कर (भवन एवं भूमि/प्लाट) अधिसूचना की प्रस्तर-5(2) के अनुसूची की श्रेणी में 1,2,3 एवं 4 के अनुसार कर अधिरोपित किया जायेगा। प्रस्तर 5(2) की वर्गवार की निर्धारित अनुसूची में वर्गीकृत प्रकृतिवार कर निर्धारण समझा जायेगा। प्राप्त आपत्ति को अधिसूचना के प्रस्तर-(ख) के अनुसार बण्डलवार दिनांक 02.12.2024 को कार्यालय नगर पंचायत कांट, शाहजहाँपुर के बैठक कक्ष में 11:00 बजे किया जायेगा।

वार्ड वार निर्धारित मासिक किराये की सामान्य दर (प्रति वर्ग फुट)

क्र० सं०	वार्ड का नाम	सर्किल रेट प्रति वर्ग मी०	24 मी० से अधिक चौड़े मार्ग पर			12-24 मी० तक चौड़े मार्ग पर			09-12 मी० तक चौड़े मार्ग पर			09 मी० से कम चौड़े मार्ग पर			भूमि के सम्बन्ध में स्थिति			
			आर०सी० सी० छत पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी० छत पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी० छत पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी० छत पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	24मी० से अधिक	12मी० से 24 तक	12मी० से कम मार्ग	9 मी० तक चौड़े मार्ग
1	गढ़ीपूर्वी प्रथम	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
2	गढ़ी पश्चिमी	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
3	प्रहलादपुर प्रथम	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
4	नवीपुर प्रथम	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
5	मरहैया प्रथम	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
6	कमलनयनपुर	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
7	गढ़ीपूर्वी द्वितीय	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
8	मरहैया तृतीय	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
9	तकिया	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
10	मरहैया द्वितीय	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
11	पट्टी पश्चिम	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
12	पट्टी पूर्वी	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
13	केलेवाली चौपाल	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
14	प्रहलादपुर द्वितीय	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10
15	नवीपुर द्वितीय	7000	1.50	1.25	1.00	1.00	0.80	0.60	0.70	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.10

- अधिसूचना के प्रस्तर 5(2) के अधीन उल्लिखित सूची के अनुसार व्यवसायिक भवन/भूमि सामान्य दर का दो गुना, एवं सरकारी भवन/भूमि सामान्य दर का तीन गुना होगा।
- अधिसूचना के प्रस्तर - 7 के अधीन भवन/भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना की जायेगी, वार्षिक मूल्य का 10% सामान्य गृहकर, 7.5% जलकर तथा 2.5% जल निकास कर लागू होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कांट
शाहजहाँपुर